मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

आदर्श आचरण संहिता

भाग एक–राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए

- सामान्य आचरण
- सभाएं एवं जुलूस
- शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबन्ध
- निर्वाचन घोषणा पत्र

भाग दो—केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिष्ठानों एवं उनके कर्मियों के लिए

- निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए जिससे चुनाव संचालन में व्यावधान उपस्थित हो।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिए।
- चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री,सांसद,विधायक अथवा सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी के निजी मकान अथवा परिसर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए।

भाग दो–निरंतर...............

- किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए।
- साधारणतः चुनाव के समय जो भी आमसभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए।
- कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी नगरीय क्षेत्र या भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए।

भाग दो–निरंतर...............

- निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रीगण या सांसदों या विधायकों द्वारा किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान, जनसम्पर्क या क्षेत्र विकास राशि मे से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
- इस अवधि के दौरान ऐसे नगरीय निकाय के क्षेत्र के अंतर्गत किसी योजना का, या नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का, भले ही उनका निर्माण राज्य सरकार या संबंधित नगरीय निकाय द्वारा न किया गया हो या प्रस्तावित हो, शिलान्यास या उद्‌घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
- चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे सत्ताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

भाग तीन–नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए

- नगरपालिका कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने के दिनांक तक:–
  - नगरपालिका के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए।
  - नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए।
  - नगरपालिका क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जाना चाहिए।

भाग तीन–निरंतर.................

– किसी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता य अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

– समाचार–पत्रों या प्रचार के अन्य माध्यमों से नगरपालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए।

– नगरीय निकायो के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले, परिवार मूलक या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

भाग चार–प्रेक्षक के संबंध में

- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को शासकीय एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहायोग दिया जाना चाहिए।
- निर्वाचन के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उनके द्वारा इसकी सूचना प्रेक्षक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाना चाहिए।
- शासकीय विश्राम भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों/पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जायेंगे। जब किसी विश्राम भवन में आयोग के प्रेक्षक रूके हो तब उसमें किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किए जायेंगे।

आदर्श आचरण संहिता के सम्बंध में

1. **शराब वितरण पर प्रतिबंध :–** संबंधित नगरीय क्षेत्र और उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क से दोनो सीमा से बाहर पांच किलोमीटर की दूरी तक स्थित शराब की दुकाने, मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखी जाए तथा इस अवधि में शराब का क्रय/विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए।
2. निर्वाचन प्रक्रिया के प्रचलित रहते जिले में भ्रमण हेतु आने वाले गणमान्य व्यक्तियों का ध्यान आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के तरफ आकर्षित करें।
3. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लघंन के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं प्रकरणों का तत्काल आयोग को सूचित किया जाये। संबंधित प्रेस/विडियो क्लिपिंग एवं समाचार पत्रों की प्रति भी तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें।
4. अभ्यर्थियों, जिला प्रशासन एवं प्रेक्षक की संयुक्त बैठक प्रतीक आवंटन के पश्चात् अनिवार्य रूप से आयोजन।
5. राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के निर्देशो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावे और मतदाताओं को प्रभावित करने रिश्वत देने, शराब उपलब्ध कराया जाने अथवा पेट्रोल की पर्चियॉ बाटकर आचरण संहिता का उल्लघंन न किया जाये अन्यथा आयोग आचरण संहिता के उल्लघंन पर निर्वाचन प्रक्रिया को शून्य घोषित कर देगा।

भाग–दो– केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिष्ठानों एवं उनके कर्मियों के लिये

(केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा उनके प्रतिष्ठानों द्वारा ऐसों से है जिनके नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभिप्राय है वेतन का भुगतान इनके द्वारा किया जाना है।)

1. निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना का कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना। इसी प्रकार इस अवधि में किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत किसी निर्माण कार्य, सुविधा विस्तार या विकास कार्य आदि के लिए शासन का कोई भी विभाग निविदायें (टेन्डर) आहूत नहीं करेगा।

2. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिये। जनता को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे हैं।

नोट :—माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13224/2015 दिनांक 08/12/2015 में आयोग को दिये दिशा निर्देश के अनुपालन में।

13. (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए, मतदान की समाप्ति तक नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटो की कालावधि के दौरान :

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद–प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा मतदाताओं को उसके प्रति आकर्षित करने के प्रयोजन से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

धन्यवाद